FROM : FAX NO. :91 522 2306186 Aug. 31 2012 11:47AM P1

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-869/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(81)-2012

दिनांक: 30 अगस्त, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 01 सितम्बर, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

एडि. कमि. (विधि)

अनुसूची-चार में,-

(क) क्रम संख्या 11 की प्रविष्टिं के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

कमिश्नर
31.08.2012

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
11	तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)	नि0 अथवा आ0	30%

2370

(ख) क्रम संख्या 12 की प्रविष्टिं के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

J.C. (Vidhi)
3/8

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
13	बिना तम्बाकूयुक्त पान मसाला	नि0 अथवा आ0	30%
14	अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज, खैनी (चबाने वाली तम्बाकू व इसके उत्पाद), जर्दा, सुर्ती या इस तरह का अन्य माल तथा तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी एवं सिगरेट/सिगार अपवर्जित हैं।	नि0 अथवा आ0	30%

3/8

3/8/12

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।